"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर 2010—अग्रहायण 9, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

आदेश

क्रमांक-एफ-134/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2010/3121.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) सहपठित नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिका परिषद् बैकुंठपुर के आम निर्वाचन 2010 हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

कार्यवाही (1)	संबंधित नियम (2)	निर्धारित तारीख एवं समय (3)
1. (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और	21, 22	2-12-2010 गुरुवार (i) पूर्वान्ह 10.30 बजे से
(ii) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)		2-12-2010 गुरुवार (ii) पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
(iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	22 "क"	2-12-2010 गुरुवार प्रात: 10.30 बजे से
(iv) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	16	2-12-2010 गुरुवार प्रात: 10.30 बजे से
2. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	9-12-2010 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	21 (ख)	10-12-2010 शुक्रवार पूर्वान्ह 10.00 बजे से
4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	13-12-2010 सोमवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	31, 32	13-12-2010 सोमवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6. मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	23-12-2010 गुरुवार प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
7. मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	21 (ङ)	27-12-2010 सोमवार प्रात: 9.00 बजे से

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.